

01 जी और से ज. पत्र मं. आ. 7 नि. 11  
CPC एवं संपर्क 151 CPC पेश हुआ जो  
शामिल पत्रावली किया गया। उचित पत्र  
की बकाल चकील प्रतिपक्ष को फिलवट गई।  
वास्तव जवाब ज. पत्र मं. आ. 0.7 R. 11 CPC एवं  
संपर्क धा. 151 CPC हेतु मिलल दिनांक  
11/10/19 को पेश हो।

10/19  
पत्रावली पेश हुई। वकालत उप.  
अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी  
होने पर / मय कक्ष में व्यस्त।  
पत्रावली हेतु ज. पत्र मं. आ. 0.7 R. 11 CPC  
दिनांक 30/10/19 को पेश हो।

30/10  
पत्रावली पेश हुई। वकालत उप.  
अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी  
होने पर / मय कक्ष में व्यस्त।  
पत्रावली हेतु ज. पत्र मं. आ. 0.7 R. 11 CPC  
दिनांक 15/11/19 को पेश हो।

वकालत उप. वास्तव जवाब ज. पत्र मं. आ. 0.7  
R. 11 CPC एवं संपर्क धा. 151 CPC हेतु  
अतिम अवसर दिया जाकर मिस आर्डर  
दिनांक 22/11/19 को पेश हो।

पत्रावली 07 R. 11 CPC आदिना पत्र कहल हेतु  
पेश हुयी। उभय पक्ष कहल सुनी गयी।  
निर्णय हेतु पत्रावली 29/11/19 को पेश हो।

तारीख हुकम

29.11.19

पक्षावली 07 RII CPC प्रार्थना पत्र के निर्णय हेतु पेशी में ली गयी। प्रार्थी आगे रखा कि 07 RII CPC प्रार्थना पत्र पेश कर आग्रह किया कि प्रार्थना पत्र में नॉस. 1673 डि. 22-12-17 द्वारा पंजीकृत एक व्याग के आदेश पर खोलेवारी आवेदन की है। प्रार्थी आगे रखा कि प्रार्थना पत्र में चालने योग्य नहीं होने का तर्क कर वाद वादीगण में खारिज करने का आग्रह किया।

अप्रार्थीगण (वादीगण क्र 2) द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 07 RII CPC पेश कर आग्रह किया कि वादीगण का वाद टाका 52,88 व 188 के तहत अनुतोष का है, जिसका भवनाधिकार इस न्या. की प्राप्ति है। अप्रार्थीगण का तर्क रहा कि वादीगण व पक्ष से 1 की माता द्वारा प्रत्येक का बहिष्कृत एक व्याग की ही आधीमा-रिग की, जबकि लाडकंवर द्वारा केवल एक पुत्र पक्ष से 1 के पक्ष में अपने सम्पूर्ण हिस्से का एक व्याग किया है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने समर्थन में RRT 2014 Page 509 व RRT 2015 P. 100 पेश कर प्रार्थना पत्र 07 RII खारिज करने का आग्रह किया। उभय पक्ष की बहस के तर्कों पर गौर किया गया।

वादीगण का वाद में मुख्य अनुतोष लाडकंवर द्वारा सम्पादित पंजीकृत एक व्याग का शून्य घोषित कर खोलेवारी घोषणा का चाला गया है। लाडकंवर द्वारा सम्पादित पंजीकृत एक व्याग voidable void के जवाब voidable प्रत्येक की श्रेणी में आता है। Voidable प्रत्येक का शून्य करणीय सीमा तक अवैध घोषित करने की आधिकारिता इस न्या. की नहीं है। वादीगण सुधम न्या. में पंजीकृत एक व्याग का शून्य घोषित सीमा तक शून्य घोषित करवाकर ही इस न्या. में खोलेवारी घोषणा का वाद ला सकता है।

अतः 07 RII CPC प्रार्थना पत्र खारिज कर वाद वादीगण इसी स्तर पर खारिज किया जा रहा है। निर्णय आज दि. 29.11.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(हस्ताक्षर) (दि.)  
29.11.19  
सहायक क्लर्क

# डिक्री मुकदमा इस्तदाश

(ओ. 20 रूल 6-7 जास्ता दीवानी)

मुकाम खण्डेला


सदाम्यक रामचंद्र  
 श्री रणजीत सिंह बनाम श्री मागीरु सिंह  
 मुकदमा नं. 88 रात 2018  
 तावा बावत घोषणा, खेराण व स्वाट विषयाता

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रुबरु गिनजानिब मुद्दई रुबरु  
 श्री सदासिंह कुडी गिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

प्रथम फर अं. (आदेश) 7 नियम 11 CPC स्वीकार कर बाद  
 वादीगण खरीज किया जाता है।

गिन  गुबलिन  बावत   
 खर्चा इस मुकदमें के मरा सूद नशरह फीसदी महताना आज की तारीख से  
 तारीख अदायगी तक  का अदा करें।  
 बसक्त मेर दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 11 रात 2019 को

जारी की गई।



(रंजीत सिंह)  
 मुद्दायलह  
 (फॉरेन डेप्युटी) खण्डेला

मुद्दई	रुपये	पैसे	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा				
स्टाम्प वकालत नामा				
स्टाम्प वजह सबूत				
महन्ताना वकील				
खर्चा गवाहान				
फीस कमिश्नर				
बावत इजराय हुकमनामा				
गुनफरिक				

※ पुत्र नारायण सिंह ② महवीर सिंह पुत्र नारायण सिंह  
समाप्त जाति राजपूत निवासी गण ग्राम कावडी तहसील खण्डेला  
जिला सीकर (राज०)

- वादीगण



बनाम

※ पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी गण ग्राम कावडी  
तहसील खण्डेला जिला सीकर।

② भूमिधारी जरीये तहसील खण्डेला, तहसील खण्डेला जिला सीकर

③ सब रजिस्ट्रार खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०)

④ पटवारी हलका कावडी तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०)

⑤ शाखा उपबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा कावडी  
तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०)

- प्रतिवादीगण

  
(रणजीत सिंह)  
सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला